बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु०अ०–4(मु०)GTSNY–33–16 / 18– 5850(अनु०) पटना, दिनांकः– 19/12/18

प्रेषक,

ई० अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
नोडल पदाधिकारी,
GTSNY

सेवा में,

सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल

विषयः– ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) अंतर्गत निजी भूमि को सतत ली पर लिये जाने के संबंध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक– मु०अ०–4(मु०)GTSNY–33–16 / 18–1895, दिनांक–01.06.2018.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि GTSNY सरकार की महती योजना है तथा इस योजना को ससमय पूर्ण कराना विभाग का प्राथमिक लक्ष्य है। GTSNY अंतर्गत जिन पथों में निजी भूमि सन्निहित है, उनको सतत लीज पर लिये जाने के कार्रवाई का निष्पादन तथा निबंधन कार्य हेतु विभागीय पत्रांक–1895, दिनांक–01.06.2018 द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्राधिकृत किया गया है। अभी तक इस दिशा में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है।

अतः इस पत्र के माध्यम से आपको पुनः स्मारित किया जाता है कि निजी भूमि को सतत लीज पर लिये जाने संबंधी कार्रवाई का निष्पादन द्रुत गति से करना सुनिश्चित किया जाय।

आपके सुलभ प्रसंग हेतु उक्त विभागीय पत्र तथा General Form, Schedule Part-I, Part II, संकल्प एवं निजी भूमि संबंधित योजनाओ की संख्या की सूची साथ में संलग्न कर पुन प्रेषित की जा रही है।

इस संबंध में शीघ्र ही VC द्वारा प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 19/12/18

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
नोडल पदाधिकारी
GTSNY

ज्ञापांकः– मु०अ०–4(मु०)GTSNY–33–16 / 18– 5858 पटना / दिनांकः– 19/12/18

प्रतिलिपिः– सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। कृप्या इस संबंध में अपने स्तर से अनुश्रवण करना सुनिश्चित किया जाय।

नोडल पदाधिकारी
GTSNY

ज्ञापांकः– मु०अ०–4(मु०)GTSNY–33–16 / 18– 5858 पटना / दिनांकः– 19/12/18

प्रतिलिपि– IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

नोडल पदाधिकारी
GTSNY

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः— मु०अ०—4(मु०)GTSNY 33—16/18 1895 पटना/दिनांकः— 01/6/18

प्रेषक,

विनय कुमार
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग

विषयः— ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) अंतर्गत निजी भूमि को सतत लीज पर लिये जाने के संबंध में ।

महाशय,

GTSNY अंतर्गत सभी योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2018—19 में ही पूर्ण किया जाना है। जिन पथों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है, उन पथों में निजी भूमि सतत लीज पर लिये जाने की प्रावधानित लागत को सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा रही है। निजी भूमि को सतत लीज पर लिये जाने की प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 जो पत्रांक—14/डी0एल0ए0—(लीज)—नीति—60/2014—1440, दिनांक—13.11.2014 के द्वारा जारी है तथा बिहार रैयती भूमि लीज का मॉडल फॉर्मेट पत्रांक—14/डी0एल0ए0—(लीज)—नीति—89/2014—1587/रा0, दिनांक—10.12.2014 पत्र के साथ संलग्न है।

उपर्युक्त संबंध में निर्देश दिया जाता है कि बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 में प्रावधानित कंडिकाओं का पालन करते हुए जिला समाहर्त्ता से भूमि का मूल्य निर्धारण का अनुरोध करें तथा पत्र की प्रति मुख्यालय को अवश्य दें। मांग की राशि यदि प्रशासनिक स्वीकृति में प्रावधानित Land Cost की राशि से अधिक है तो ऐसी परिस्थिति में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि मात्र लीज के मद में राशि की वृद्धि होती हो।

रैयती भूमि सतत लीज निष्पादन/निबंधन कार्य हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्राधिकृत किया जाता है।

अनु०:— यथोक्त।

विश्वासभाजन

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः— मु०अ०—4(मु०)GTSNY 33—16/18 1895 पटना/दिनांकः— 01/06/18

प्रतिलिपिः— अभियंता प्रमुख/मु०अ०—1,2,3,4/सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Nodal, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव

132

पत्रांक–14 / भू०अ०नि० (लीज)–नीति–09 / 2014–......1587..... / रा०,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

प्रेषक,

शशि भूषण तिवारी,
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

फैक्स / ई–मेल

पटना–15, दिनांक– 10-12-14

विषय :– बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत सतत लीज का मॉडल फार्मेट की प्रति का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014, जो राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1440 / रा०, दिनांक–13.11.2014 द्वारा निर्गत एवं संसूचित है, की कंडिका–8 के तहत प्रावधानित सतत लीज का मॉडल फार्मेट की प्रति (अनुसूची–पार्ट–I एवं II सहित) अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

उक्त बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 एवं तत्संबंधी सतत लीज का मॉडल फार्मेट राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक :– सतत लीज का मॉडल फार्मेट
(अनुसूची–पार्ट–I एवं II सहित)।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 10/12/14
(शशि भूषण तिवारी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
भू–अर्जन।

Dinesh ji
Mon/website/
Facebook
[illegible]
24/12

D:\ACH\LAO-2014\Dinesh Sir\New-Dec\Lease Letter 10-12-2014.doc

Scanned by CamScanner

General Form Of Perpetual Lease for Raiyati Land

This indenture made the .... day of .... between the Raiyat / Raiyats ('hereinafter called the lessor, which expression shall, where the context so admits or implies, include his successors, heirs or descendants, executors, representatives, administrators, assigns) of the one part and the Governor of Bihar/ Government Company (hereinafter called the lessee which expression, shall, where the contexts so admits or implies include his successors in office and assigns)

Whereas the lessee has applied for taking over for the purpose/ purposes..
(the lands and premises specified in Part-I of the Schedule) and has paid a total sum of Rs... as compensation amount towards lease and whereas the said application has received the sanction of ....

Now this Indenture witness that the lesser do hereby demise unto the lessee all the lands and premises as specified in Part-I of the Schedule (enclosed with this form) with their appurtenances, to hold the same perpetually unto the lessee from the day of........................... and the lessee hereby covenants with the lesser that he will perform and observe the terms and conditions set forth in Part-II of the said Schedule (enclosed with this form).

In witness whereof the said parties have hereunto set their hands and seal on the day and year first above written.

The Situation and Description of the land is as following :-

1. Name of the Village-
   Thana No-.......Thana-............Anchal-..............District- ....
2. Plot No-.........................Khata No-..............
3. Area of the plot/plots (in acre)-
4. Classification of land-
5. Value of assets on land-
6. Value of land - -
7. Total value of land including assets on land-
   (In words also)

Signed by

....
Name & Designation of Authorised Signatory,

For and on behalf of the Governor of Bihar
(..........................Dept.)
In the presence of

....
(Name of the Company)

Signed by

....
Lessee
in the presence of

Scanned by CamScanner

130

Schedule

Part-I

(Specification of the land with trees, structures, etc. thereon)

1. Name of the Village-..

   Thana No- .... Thana-...................................

   Anchal-...District- ....

2. Plot / Plots No -

3. Area of each plot/ plots-

4. Total area of the plot/plots (in acre)-

5. Boundaries of plot/plots- North-

   South-

   East-

   West-

6. Description & Number of trees & plants of each kind-

7. Description & Number of houses/ structures-

8. Description & Number of tanks, wells and boring-

9. Description of anything attached to the land or permanently fastened to anything attached to the land-

Scanned by CamScanner

Schedule

Part-II

(Specification of Terms & Conditions)

1. The amount of rent and cess of the land taken over on perpetual lease would be borne by the requisitioning department/ requisitioning authority as per law, in one installment.

2. The land, taken on perpetual lease, would vest absolutely in the requisitioning department or requisitioning authority free from all encumbrances from the date of the lease execution.

3. The public purpose, once enumerated and declared by the requisitioning department or requisitioning authority, cannot be changed, for which the land is originally sought to be taken on lease, at any stage or at any level, by the requisitioning department or requisitioning authority. In special circumstances, however, with the prior approval of the Government in the Department of Revenue and Land Reforms, Bihar, Patna, change of public purpose would be done by the lessee.

4. In case of any clerical or mathematical error in calculation as to the amount of compensation for the land mentioned in Schedule-1, matter shall be referred to the Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, Patna, within six month of the date of execution of the lease and the decision taken by the Government in the Department of Revenue and Land Reforms, Bihar, Patna will be final.

5. No claim, regarding the compensation amount taken by the concerned Raiyat/ Raiyats after the execution of the lease, will be entertained for higher amount or otherwise (Explanation- Raiyat / Raiyats hereinafter called the lesser, which expression shall, where the context so admits or implies, include his successors, heirs or descendants, executors, representatives, administrators, assigns).

6. No change of ownership, without specific permission from the Government in the Department of Revenue and Land Reforms, Bihar, Patna, shall be allowed for the land once taken on perpetual lease.

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)
संकल्प

केन्द्रीय "भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा–104 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा आवश्यकतानुसार लोक उद्देश्य के कार्यों तथा आधारभूत संरचना एवं लोक प्रयोजन के परियोजनाओं हेतु, रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राज्य नीति तुरत के प्रभाव से विनिश्चित करती है:–

बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014

1. आधारभूत संरचना, जैसे– शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की धारा–2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि लीज पर ली जा सकेगी।

2. इस प्रकार ली जाने वाली भूमि सतत लीज (Perpetual Lease) की शर्तों पर ली जाएगी एवं यह निबंधित होगी।

3. सतत लीज पर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (MVR) के 4 (चार) गुणी एवं शहरी क्षेत्रों में 2 (दो) गुणी दर पर प्राप्त की जाएगी

परन्तु यदि उक्त भूमि पर अवस्थित वृक्ष अथवा अन्य संरचनाएँ (Structures) हों तो जिला समाहर्त्ता क्रमशः जिला वन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से उनका मूल्यांकन करवाकर मूल्यांकित राशि का भी भुगतान करेंगे।

4. उपर्युक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए सरकार के विभाग एवं सरकारी उपक्रम/कंपनियाँ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर भूमि सतत लीज (Perpetual Lease) पर ले सकेंगी।

5. संबंधित विभाग/सरकारी कंपनियों/उपक्रम द्वारा भूमि सतत लीज पर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पारदर्शी प्रक्रिया होगी :–

(क) सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकार भूमि लीज पर प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे। प्रस्ताव में आवश्यक भूमि का रकबा, लोक उद्देश्य एवं अनुमानित मूल्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(ख) तदुपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि/स्थल चयन समिति गठित की जाएगी। उक्त भूमि/स्थल चयन समिति द्वारा, स्थल निरीक्षण करने के पश्चात्, भूमि/स्थल की चयन की अनुशंसा की जाएगी। भूमि/स्थल चयन के समय संबंधित भू–स्वामियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर, उन्हें परियोजनाओं के, जिसके लिए भूमि प्राप्त करनी है, उद्देश्यों एवं लीज नीति के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा एवं उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भूमि/स्थल चयन समिति 2–3 वैकल्पिक भूमि/स्थल का चयन कर लेगी ताकि भूमि सुलभ होने में सुविधा हो सके।

Scanned by CamScanner

(ग) भूमि/स्थल चयन समिति के अनुशंसा की समीक्षा कर, सक्षम प्राधिकार द्वारा, अनुशंसित भूमि/स्थलों की, उपयुक्तता के आधार पर, क्रमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

(घ) सूचीबद्ध भूमि/स्थल के स्वत्व एवं प्रकृति की सूचना जिला समाहर्त्ता से प्राप्त की जाएगी। जिला समाहर्त्ता भूमि/स्थल की विधिवत जांच कराकर संतुष्ट हो लेंगे कि भूमि विवाद–ग्रस्त न हो एवं यह स्वत्वधारियों के पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जे में हो।

(ङ) सूचीबद्ध भूमि के स्वामियों से, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भूमि लीज पर देने की सहमति प्राप्त की जाएगी। प्राप्त सहमति के आलोक में अंतिम रूप से भूमि/स्थल का चयन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। चयन के उपरांत जिला समाहर्त्ता द्वारा उपरोक्त भूमि का मूल्य निर्धारण कंडिका–3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(च) यदि भूमि पर संरचना/वृक्ष इत्यादि हो तो उसका भी मूल्यांकन, जिला समाहर्त्ता के स्तर पर, उपरोक्त कंडिका–3 के अनुसार, किया जाएगा।

(छ) तदुपरान्त विभाग द्वारा लीज के निष्पादन एवं मूल्य भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

(ज) सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियाँ/उपक्रम भूमि लीज निष्पादन करने की शक्तियाँ अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

6. सतत लीज का मॉडल फार्मेट विधि विभाग के परामर्श से तैयार कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अन्य विभागों को परिचारित किया जाएगा।

7. लीज के अधीन देय राशि हितबद्ध रैयतों को, एकाउंट पेयी चेक (Account Payee Cheque) के माध्यम से, लीज के निबंधन की तिथि को देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–(लीज)–नीति–69/2014– 1440 /रा0, पटना–15, दिनांक– 13.11.14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

Scanned by CamScanner

GTSNY अन्तर्गत मु०अ० प्रक्षेत्रवार निजी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन, दिनांक–19.12.2018

क्र०सं०	मु०अ० प्रक्षेत्र	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	1	102	6367.917	
2	2	122	5576.774	
3	3	283	18222.755	
कुल		**507**	**30167.446**	

CE-1 GTSNY अन्तर्गत निजी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन, दिनांक–19.12.2018

क्र०सं०	जिला	कार्य प्रमंडल	पूरक राज्य कोर–नेटवर्क में कुल चयनित पथों की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	पटना	8	7	-	-	
2		दानापुर	2	2	-	-	
3		बाढ़	33	27	1	24.00	
4		मसौढ़ी	28	26	7	468.60	
5		पालीगंज	63	54	18	3225.019	
6	नालंदा	बिहारशरीफ	3	3	-	-	
7		हरनौत	17	15	-	-	
8		हिलसा	13	11	-	-	
9		राजगीर	9	9	-	-	
10	रोहतास	सासाराम–1	11	9	-	-	
11		सासाराम–2	29	29	1	36.00	
12		डिहरी	13	12	2	125.06	
13		विक्रमगंज	4	4	1	48.13	
14	कैमूर	भभुआ	14	14	-	-	
15		मोहनिया	8	8	-	-	
16	भोजपुर	आरा	4	3	1	18.73	
17		जगदीशपुर	12	9	4	211.91	
18		पीरो	3	3	-	-	
19	बक्सर	बक्सर	41	33	7	289.30	
20		डुमराँव	41	37	13	170.17	

क्र०सं०	जिला	कार्य प्रमंडल	पूरक राज्य कोर–नेटवर्क में कुल चयनित पथों की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
21	गया	गया	11	5	-	-	
22		टिकारी	46	39	9	184.02	
23		शेरघाटी	46	42	1	3.383	
24		इमामगंज	50	44	12	533.35	
25		नीमचक बथानी	53	49	2	105.42	
26	नवादा	नवादा	13	11	-	-	
27		रजौली	64	64	6	295.108	
28	औरंगाबाद	औरंगाबाद	97	93	1	10.13	
29		दाउदनगर	36	34	7	406.075	
30	जहानाबाद	जहानाबाद	16	13	2	24.732	
31	अरवल	अरवल	17	15	7	188.780	
Total			**805**	**724**	**102**	**6367.917**	

CE-2 GTSNY अन्तर्गत निजी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन, दिनांक–19.12.2018

क्रमांक	जिला	कार्य प्रमंडल	पूरक राज्य कोर–नेटवर्क में कुल चयनित पथों की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	भागलपुर	भागलपुर	4	4	-	-	
2		नवगछिया	3	2	-	-	
3		कहलगाँव	47	46	-	-	
4	बांका	बांका–1	22	20	-	-	
5		बांका–2	36	36	-	-	
6	मुंगेर	मुंगेर	9	7	**4**	**384.55**	
7		खड़गपुर–तारापुर	28	28	**8**	**348.84**	
8	शेखपुरा	शेखपुरा	20	17	**4**	**180.73**	
9	लखीसराय	लखीसराय	2	2	-	-	
10	जमुई	जमुई	45	36	**3**	**56.154**	
11		झाझा	42	40	**15**	**339.97**	
12	सहरसा	सहरसा	13	12	**1**	**76.08**	
13		सिमरी बख्तियारपुर	44	35	-	-	
14	खगड़िया	खगड़िया	20	13	-	-	
15		गोगरी	4	4	-	-	
16	मधेपुरा	मधेपुरा	9	9	-	-	
17		उदाकिशुनगंज	21	17	**1**	**32.00**	
18	सुपौल	सुपौल	42	42	-	-	
19		वीरपुर	172	162	**16**	**1882.27**	
20		त्रिवेणीगंज	154	144	**8**	**102.226**	

CE-2 GTSNY अन्तर्गत निजी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन, दिनांक–19.12.2018

क्रमांक	जिला	कार्य प्रमंडल	पूरक राज्य कोर–नेटवर्क में कुल चयनित पथों की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
21	पूर्णिया	पूर्णिया	55	53	-	-	
22		धमदाहा	42	38	**2**	**43.77**	
23		वायसी	15	12	-	-	
24	कटिहार	कटिहार	64	58	**9**	**385.15**	
25		बारसोई	122	121	**21**	**466.53**	
26		मनिहारी	37	33	**7**	**220.89**	
27	किशनगंज	किशनगंज–1	290	290	-	-	
28		किशनगंज–2	116	116	**1**	**36.69**	
29	अररिया	अररिया	46	45	**11**	**456.944**	
30		फारबिसगंज	145	135	**11**	**563.98**	
Total			**1669**	**1577**	**122**	**5576.774**	

CE-3 GTSNY अन्तर्गत निजी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन, दिनांक–19.12.2018

क्रमांक	जिला	कार्य प्रमंडल	पूरक राज्य कोर–नेटवर्क में कुल चयनित पथों की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सारण	छपरा 1	26	25	1	27.58	
2		छपरा 2	54	51	-	-	
3		सोनपुर	46	46	23	1547.325	
4		मढ़ौरा	164	159	26	419.58	
5	सिवान	सिवान–1	105	96	2	63.78	
6		सिवान–2	23	23	-	-	
7		महाराजगंज	117	111	8	444.60	
8	गोपालगंज	गोपालगंज–1	15	11	-	-	
9		गोपालगंज-2	9	8	-	-	
10		हथुआ	26	24	-	-	
11	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर पूर्वी–1	34	29	11	811.67	
12		मुजफ्फरपुर पूर्वी -2	29	29	24	1177.96	
13		मुजफ्फरपुर पश्चिमी	55	44	-	-	
14	वैशाली	हाजीपुरे	35	30	-	-	
15		महुआ	34	30	-	-	
16		महनार	163	115	42	3482.97	
17	सीतामढ़ी	पुपरी	28	28	5	87.35	
18		सीतामढ़ी	61	59	28	1810.781	
19		बेलसंड	124	122	27	1716.17	
20	शिवहर	शिवहर	21	17	3	75.37	
21	पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	60	59	3	528.426	
22		अरेराज	31	30	-	-	
23		चकिया	63	57	3	407.33	
24		रक्सौल	3	3	-	-	
25		सिकरहना (ढाका)	25	20	1	138.36	
26		पकड़ीदयाल	56	55	1	144.26	

CE-3 GTSNY अन्तर्गत निजी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन, दिनांक–19.12.2018

क्रमांक	जिला	कार्य प्रमंडल	पूरक राज्य कोर–नेटवर्क में कुल चयनित पथों की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या	AA प्रदत्त योजनाओं की संख्या जिनमें निजी भूमि सन्निहित है	निजी भूमि सतत लीज पर लेने हेतु स्वीकृत राशि (रू० लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
27	पश्चिम चम्पारण	बेतिया	41	41	-	-	
28		नरकटियागंज	98	95	1	51.24	
29		बगहा–1	80	79	-	-	
30		बगहा–2	0	0	-	-	
31	दरभंगा	दरभंगा–1	7	5	1	28.00	
32		दरभंगा–2	10	8	1	37.44	
33		बेनीपुर	16	15	5	539.871	
34		बिरौल	58	57	14	420.58	
35	मधुबनी	मधुबनी	10	10	-	-	
36		जयनगर	60	48	6	2.10	
37		झंझारपुर	42	37	2	54.36	
38		फुलपरास	72	72	2	77.46	
39		बेनीपट्टी	72	72	-	-	
40	समस्तीपुर	समस्तीपुर	27	27	-	-	
41		पटोरी	1	1	-	-	
42		रोसड़ा	16	14	2	95.10	
43		दलसिंहसराय	89	88	18	2518.544	
44	बेगूसराय	बेगूसराय	1	0	-	-	
45		बलिया	10	10	4	48.592	
46		तेघड़ा	45	39	16	1387.356	
47		मंझौल–बखरी	7	6	3	78.60	
Total			**2169**	**2005**	**283**	**18222.755**	